तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
21/6/21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 26/8 को पेश हो।	
26.8.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30/9 को पेश हो।	
14.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प ग्राम कवराड़िया मे पेश हुई, अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रभारी पटवार हल्का कवराड़िया द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. प. किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:24:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 194/19 प्रा०पत्र
सुरेशचन्द्र S/o श्री प्यारा कुमावत निवासी - पीथलपुरा त० रायपुर ---प्रार्थी

बनाम

1- शिवसिंह S/o श्री हरिसिंह राजपूत निवासी - गराड़िया त० मांडल (भील०) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 14-10-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......गराड़िया......पटवार हल्का कबराड़िया.....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं......1088/852.........कुल किता ......0.1...... रकबा.....0.6 बीघा..... हेक्टेयर 16 बिस्वा......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.11.19..........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अत: इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......गराड़िया...... पटवार हल्का......कबराड़िया..........तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......1088/852...... ......0.1......कुल किता ....रकबा......0.6 बीघा...... हेक्टेयर 16 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक आसमाम.........................को ......700/-...... रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ....फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में ......स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल ...... पत्थर गढ़ी नहीं की जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:24:19 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कर ......निर्देश ...... में पालना करें ।

उपखण्ड अधिकारी